उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग-3

संख्या- 107/2024/819/तीस-3-2024

लखनऊ, दिनांक: 09 सितम्बर,2024

अधिसूचना

चूंकि अधिसूचना संख्या-578/79-पॉच-1-2023-क-21-2023, दिनांक 08 दिसम्बर, 2023 द्वारा उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम,2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-22 सन् 2023) सरकारी गजट में प्रकाशित किया गया था;

और चूंकि पूर्वोक्त अधिनियम के उपबंध उत्तर प्रदेश राज्य में जल परिवहन के संवर्धन के उद्देश्य से अधिसूचना संख्या-16/2024/1101/तीस-4-2024-30-4099(099)/154/2023, दिनांक 06 अगस्त 2024 द्वारा दिनांक 08 दिसम्बर 2023 से प्रवृत्त किए जा चुके है;

अतएव, अब पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, सरकारी गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशित किए जाने के दिनांक से उत्तर प्रदेश राज्य में जल परिवहन के संवर्धन के प्रयोजनार्थ एक प्राधिकरण गठित करते हैं, जिसे उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण कहा जाएगा, जिसकी संरचना निम्नानुसार होगी :-

(एक)	या तो परिवहन मंत्री, उत्तर प्रदेश या ऐसे व्यक्तियों में से कोई विशेषज्ञ जिसके पास अन्तर्देशीय जलमार्ग, पोतपरिवहन और नौपरिवहन, बन्दरगाह, समुद्री मामले का या उससे सम्बन्धित मामले का विशेष ज्ञान और वृत्तिक अनुभव हो जिसे मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा नामनिर्दिष्ट या नियुक्त किया जाए।	अध्यक्ष
(दो)	राज्य सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त कोई व्यक्ति जिनके पास अंतर्देशीय जलमार्ग, पोतपरिवहन और नौपरिवहन, बंदरगाहों, समुद्री मामलों या उससे सम्बन्धित मामलों का विशेष ज्ञान और वृत्तिक अनुभव है।	उपाध्यक्ष
(तीन)	वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव-पदेन	सदस्य
(चार)	लोक निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव-पदेन	सदस्य
(पांच)	परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव-पदेन	सदस्य
(छः)	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव-पदेन	सदस्य
(सात)	पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव-पदेन	सदस्य
(आठ)	वन एवं पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव-पदेन	सदस्य
(नौ)	भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का एक प्रतिनिधि	सदस्य
(दस)	परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश	मुख्य कार्यपालक अधिकारी(सीईओ)

आज्ञा से,

ह0/-

(एल0 वेंकटेश्वर लू)

प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

www.shasanadesh.up.gov.in

संख्या-107/2024/819(1)/तीस-3-2024 तददिनांक

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना की दिनांक **09** सितम्बर,**2024** के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 200 प्रतियाँ परिवहन अनुभाग-3, कक्ष संख्या-323, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

आज्ञा से,

(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-107/2024/819(2)/तीस-3-2024 तददिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, (विज्ञापन प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को प्रदेश के 02 प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए उनकी प्रतियां शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-107/2024/819(3)/तीस-3-2024 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) निजी सचिव, मा0 परिवहन मंत्री जी, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
(2) परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग से सम्पर्क स्थापित कर उक्त अधिसूचना को प्रदेश के 02 प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु किसी अभिज्ञ अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
(3) समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक), उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
(4) प्राधिकरण के मा0 उपाध्यक्ष/सदस्यगण/मुख्य कार्यपालक अधिकारी(सीईओ)।
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(नितिन कुमार गुप्त)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

UTTAR PRADESH SHASAN
PARIVAHAN ANUBHAG-3

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 107/2024/819/XXX-3-2024 dated 09 September, 2024:

NOTIFICATION

No. 107/ 2024/ 819 /XXX-3-2024-10M/2017
Lucknow; Dated: 09 September, 2024

WHEREAS the Uttar Pradesh Inland Waterways Authority Act, 2023 (U.P. Act no. 22 of 2023) was published in the official Gazette vide Notification no. 578/79-V-1-2023-1-ka-21-2023 dated 8th December, 2023;

AND WHEREAS provisions of the aforesaid Act have been brought into force with effect from the 8th day of December, 2023 vide Notification no. 16/2024/1101/XXX-4-2024-30-4099(099)/154/2023 dated 6th August, 2024 with the aim of promoting water transportation in the State of Uttar Pradesh;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (1) of section 3 of the aforesaid Act, the Governor, with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette, is pleased to constitute an Authority for the purpose of promoting water transportation in the State of Uttar Pradesh, to be called "The Uttar Pradesh Inland Waterways Authority", composition of which shall be as below:-

i	Either the Minister of Transport, Uttar Pradesh or an expert from amongst persons who have special knowledge of and professional experience in matters related to inland waterways, shipping and navigation ports, maritime affairs or in matters connected therewith as may be nominated or appointed by the Chief Minister of Uttar Pradesh	Chairperson
ii	A person appointed by the State Government from amongst persons who have special knowledge of and professional experience in matters related to inland waterways, shipping	Vice-Chairperson

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	and navigation ports, maritime affairs or in matters connected therewith	
iii	Additional Chief Secretary/ Principal Secretary of the Department of Finance ex-officio	Member
iv	Additional Chief Secretary/ Principal Secretary of the Department of Public Works Department - ex-officio	Member
v	Additional Chief Secretary/ Principal Secretary of the Department of Transport-ex-officio	Member
vi	Additional Chief Secretary/ Principal Secretary of the Department of Irrigation and Water Resources - ex-officio	Member
vii	Additional Chief Secretary/ Principal Secretary of the Department of Tourism and Culture - ex-officio	Member
viii	Additional Chief Secretary/ Principal Secretary of the Department of Forest and Environment ex-officio	Member
ix	A representative of Inland Waterways Authority of India (IWAI) nominated by the Chairman of IWAI	Member
x	Transport Commissioner, Uttar Pradesh	Chief Executive Officer (CEO)

By order,
Sd/-
(L. Venkateshwar Lu)
Principal Secretary.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।